भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2467

उत्तर देने की तारीख 15दिसंबर, 2025

सोमवार, 2025/24 अग्रहायण,1947 (शक)

पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना

2467. श्री कौशलेन्द्र कुमारः
श्री दिनेश चंद्र यादवः
श्री गिरिधारी यादवः
श्री राजेश रंजनः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बजट 2025-26 में क्रम संख्या 44 पर प्रस्तावित कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों (एनसीओई) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उपर्युक्त केन्द्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा किस स्तर तक कार्रवाई पूरी की गई है;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां कौशल विकास के लिए उपरोक्त पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और क्या उनके चयन के लिए क्षेत्रीय संतुलन बनाने पर विचार किया गया है;

(घ) उपर्युक्त केंद्रों की संरचना, प्रशिक्षण मॉडल और उद्योग भागीदारी का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने राज्यों को "सैटेलाइट स्किल सेंटर" स्थापित करने का विकल्प प्रदान किया है जिसके अंतर्गत बिहार के सीमांचल-कोसी क्षेत्र में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, बाढ़ नियंत्रण तकनीक जैसी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष कौशल केंद्र स्थापित करने का कोई प्रावधान या संभावना है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ग) : कौशल शिक्षा प्रदान करने हेतु पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों (एनसीओई) जिसकी घोषणा बजट 2025-26 के कर्म संख्या 44 में की गई थी, को मंत्रिमंडल द्वारा 07.05.2025 को स्तरोन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास तथा नियोज्यता (पीएम-सेतु) योजना के घटक-II के अंतर्गत मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, वैश्विक साझेदारी के साथ क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र - भुवनेश्वर (ओडिशा), चेन्नई (तमिलनाडु), हैदराबाद (तेलंगाना), कानपुर (उत्तर प्रदेश) और लुधियाना (पंजाब) में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इन एनएसटीआई का चयन संस्थान के भूमि क्षेत्र, ट्रेड विविधता, मौजूदा बैठने की क्षमता, विस्तार की संभावना और संकाय की उपलब्धता जैसे मापदंडों के आधार पर किया गया था।

(ख) इस योजना के दिशा-निर्देश राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं और उन्नत विनिर्माण क्षेत्र में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इन पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के लिए अग्रणी उद्योग भागीदार को शामिल करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की गई है।

(घ) चयनित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के लिए अग्रणी उद्योग भागीदार के अध्यक्ष को शामिल करके संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) का गठन किया जाएगा।अनुमोदित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार आईएमसी की प्रस्तावित संरचना *संलग्नक* में दी गई है।

इसके अलावा, आईएमसी इन राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उद्योग की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाएगी और उन्हें कार्यान्वित करेगी।

(ङ) पीएम-सेतु योजना के घटक-I के अंतर्गत, उद्योग भागीदारों के सहयोग से हब-एंड-स्पोक मॉडल के अंतर्गत 1,000 राजकीय आईटीआई को उन्नत करने का प्रस्ताव है। इस कार्यढांचे के अंतर्गत राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास संबंधी उपाय प्रस्तावित करने की छूट है।इसलिए, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध या किसी भी स्थानीय आवश्यकता संबंधी क्षेत्रों में, जिसमें बिहार राज्य का सीमांचल-कोसी क्षेत्र भी शामिल हैं, विशिष्ट कौशल केंद्र प्रस्तावित कर सकते हैं।

संलग्नक

संस्थान प्रबंधन समिति की प्रस्तावित संरचना

क्र.सं.	श्रेणी	विवरण
1	अध्यक्ष	अग्रणी उद्योग भागीदार द्वारा मनोनीत
2	केंद्र सरकार द्वारा नामित दो या अधिक प्रतिनिधि	डीजीटी/एमएसडीई द्वारा मनोनीत किया जाना है।
3	राज्य सरकार द्वारा नामित एक या अधिक प्रतिनिधि	एनएसटीआई जिस राज्य में स्थित है, उस राज्य सरकार का प्रतिनिधि।
4	प्रासंगिक तकनीकी विशेषज्ञता वाले उद्योग जगत के दो या अधिक व्यक्ति	उद्योग और तकनीकी शिक्षा मामलों में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले तथा योजना में वित्तीय योगदान देने वाले उद्योग भागीदारों के प्रतिनिधि।
5	संस्थान के निदेशक	शासी निकाय के पदेन सदस्य सचिव।
6	उद्योग संघों के एक या अधिक प्रतिनिधि	एफआईसीसीआई, सीआईआई जैसे प्रतिष्ठित उद्योग संघों या राज्य स्तरीय निकायों, क्षेत्र कौशल परिषद आदि या क्षेत्रीय स्थानीय उद्योग संघों के प्रतिनिधि।
7	शिक्षा जगत के एक या अधिक प्रतिनिधि	शैक्षणिक क्षेत्र से प्रतिनिधि।

*ये संख्याएँ सांकेतिक हैं और प्रत्येक एनएसटीआई की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर 9 से 15 सदस्यों के बीच भिन्न हो सकती हैं।

*****